हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग (राजनैतिक शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 20 जून, 2014

संख्या सा०का०नि० 29/संवि०/अनु० 309/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा 243यक के खण्ड (3) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग-I सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. (1) ये नियम हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2014 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;

(ख) "आयुक्त" से अभिप्राय है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा; तथा

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(घ) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्राय है, पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण आधार पर नियुक्ति के लिए, राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा गठित अधिकारियों की समिति;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; अथवा

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;

(छ) "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, --

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;

(ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग (ग्रुप ख) सेवा।

भाग-II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो, --

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो:

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग) या (घ) से सम्बन्धित कोई व्यक्ति, ऐसा होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग द्वारा किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र का प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में भली-भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा मे किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो आयोग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम अथवा चालीस वर्ष की आयु से अधिक हो:

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग और भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां इन नियमों के परिशिष्ट ग के खाना 3 में दर्शाये प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

योग्यताएं।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,--

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी, ---

(क) सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त की दशा में,--

(i) अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे अधिकारियों में से स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) अधीक्षक की दशा में,--

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारियों में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) निजी सचिव की दशा में,--

(i) निजी सहायकों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारियों में से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

परिवीक्षा। 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए तथा यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु--

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा अवधि में गिनी जायेगी;

(ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने, ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरी होने पर,

यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो, तो वह, --

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, -

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी रीति में कार्यवाही कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,--

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो,--

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,--

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता। 11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय, आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहली नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, निश्चित की जायेगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए, आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है.—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकाश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास है; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो या गैर सरकारी निकाय;

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) और खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन राज्य विधानमण्डल द्वारा

बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गए हों अथवा इसके बाद अपनाएं या बनाएं जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

14. (i) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे, जो इन नियमो के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग तथा घ में निर्दिष्ट है।

टीका लगाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं टीका लगवायेगा या जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां राज्य सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के अन्य किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी.

परन्तु इस प्रकार किये गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।,

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व लागू हों, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं : निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त	1	--	1	9300-34800 + 4200 ग्रेड वेतन + 200 रू0 विशेष वेतन
2	अधीक्षक	3	--	3	9300-34800 + 4200 ग्रेड वेतन + 200 रू0 विशेष वेतन
3	निजी सचिव	1	--	1	9300-34800 + 4200 ग्रेड वेतन + 200 रू0 विशेष वेतन

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7 और 9)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त		पदोन्नति द्वारा,– अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष संस्थान से स्नातक; (ii) किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा में ग्रुप ख के पद पर पांच वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।
2	अधीक्षक		पदोन्नति द्वारा आयोग में सहायक के रूप में दस वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा,– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष संस्थान से स्नातक; (ii) किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा में अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव अथवा उप-अधीक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर पर या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।
3	निजी सचिव		पदोन्नति द्वारा– आयोग में निजी सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष संस्थान से स्नातक; (ii) किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा में निजी सचिव के रूप में एक वर्ष का अनुभव अथवा निजी सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; तथा (iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत का ज्ञान।

परिशिष्ट ग

(देखिये नियम 14(1))

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			1. छोटी शास्तियां		
1.	सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त	आयुक्त	(i) वैयक्तिक फाइल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	आयुक्त	सरकार
2.	अधीक्षक		(ii) परिनिन्दा;		
3.	निजी सचिव		(iii) पदोन्नति रोकना;		
			(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;		
			बड़ी शास्तियां		
			(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;	आयुक्त	सरकार
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी		

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं; (viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या ऐसा पर जिसमें वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा; (ix) अनिवार्य सेवानिवृति; (x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी; (xi) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता होगी।		

परिशिष्ट घ

[(देखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश जारी करने लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1.	2	3	4	5
1.	सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त	(i) पेंशन को शासित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	आयुक्त	सरकार
2.	अधीक्षक	(ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवार्षिता के लिये नियत आयु का होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।		
3.	निजी सचिव			

एस०सी० चौधरी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(POLITICAL BRANCH)

Notification

The 20th June, 2014

No. G.S.R. 29/Const./Art.309/2014.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (3) of article 243K and article 243ZA of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Election Commission (Group B) Service, namely: —

PART-1 GENERAL

1. (1) These rules may be called the Haryana State Election Commission (Group B) Service Rules, 2014. Short title.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires, Definitions.

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "Commissioner" means the State Election Commissioner, Haryana;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(d) "departmental promotion committee" means the committee of officers constituted by the State Election Commissioner for recruitment by promotion or on deputation or on transfer basis;

(e) "Government" means the Haryana Government in the administrative department;

(f) "Institution" means ;-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(g) "recognized university" means-

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university which may be declared by the Government to be a recognized university for the purposes of these rules.

(h) "Service" means the Haryana State Election Commission (Group B) Service.

PART-II RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidate appointed to Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Malawi Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c) or (d) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person, in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview conducted by the appointing authority, but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age

5. No person shall be appointed to the Service by direct recruitment who is less than twenty one year or more than forty years of age on the last date of submission of application to the Commission:

Provided that in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and ex-servicemen etc. the upper age limit shall be such as may be fixed by the State Government from time to time.

Appointing authority.

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the authority shown against each posts in column number 3 of Appendix C to these rules.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment.

Disqualifications

8. No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. Recruitment to the Service shall be made,-

(a) in case of Assistant State Election Commissioner,-

(i) by promotion from amongst the Superintendents; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of State Government or Government of India.

(b) in case of Superintendent, -

(i) by promotion from amongst the Assistants; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of State Government or Government of India.

(c) in case of Private Secretary,

(i) by promotion from amongst the Personal Assistants; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of State Government or Government of India.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a minimum period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise:

Provided that,—

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-

(a) if such person is appointed by direct recruitment dispense with his services; and

(b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment .—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit;

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,-

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) If his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,-

(i) dispense with his service, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under:—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana;

(ii) the Central Government or a company or an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) and clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature

Discipline, penalties and appeals

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeals) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated or re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

Special provisions

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard from time to time:

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and savings

20. Any service rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules, is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No	Designation of the post		Number of posts		Scale of pay
		Perm-anent	Temporary	Total	
1.	Assistant State Election Commissioner	1	----	1	Rs.9300 - 34800 + Grade Pay Rs.4200/- + SP Rs.200/-
2.	Superintendent	3	-----	3	Rs.9300 - 34800 + Grade Pay Rs.4200/- + SP Rs.200/-
3.	Private Secretary	1	------	1	Rs.9300 - 34800 + Grade Pay Rs.4200/- + SP Rs.200/-

APPENDIX B

(see rule 7 and 9)

Sr. No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any for direct recruitment	Academic qualifications/experience for appointment otherwise than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Assistant State Election Commissioner	–	**By promotion, -** Two years experience as Superintendent. **By transfer/deputation, -** (i) Graduate from recognized university or its equivalent institution; (ii) Five years experience in any State Government or Goverament of India on Group 'B' post, and (iii) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher education.
2	Superintendent	–	**By promotion, -** (i) Ten years experience as Assistant in the commission. **By transfer/deputation, -** (i) Graduate from a recognized university or its equivalent institution; (ii) One year experience as Superintendent or three years experience as Deputy Superintendent in any State Government or Government of India (iii) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher education.
3.	Private Secretary	–	**By promotion, -** (i) Three years experience as Personal Assistant in the Commission. **By transfer/deputation :** (i) Graduate from a recognized university or its equivalent institution; (ii) One year service as Private Secretary or three years experience as Personal Assistant in any State Government or Government of India. (iii) Knowledge of Hindi/Sanskrit upto matric standard or higher education.

APPENDIX C

(See rule 14(I)

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
1	Assistant State Election Commissioner	Commissioner	**MINOR PENALITIES** (i) warning with a copy on the personal file; (character roll) (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused, by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State; and (v) withholding of increments of pay without commutative effect. (vi) withholding of increments of pay with commutative effect. **MAJOR PENALITIES** (vii) reduction of a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay; (viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee of the time scale of pay, grade, post or service, from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which Government employee was reduced and his	Commissioner	Government
2.	Superintendent	---do---			
3.	Private Secretary	---do---			

Sr. No.	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6
			seniority and pay on such restoration to that grade, post or service; (ix) compulsory retirement. (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government. (xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.	Commissioner	Government

APPENDIX D

(See rule 14(2)

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate Authority
1	2	3	4	5
1 2 3	Assistant State Election Commissioner Superintendent Private Secretary	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension. (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Commissioner	Government

S.C. CHOUDHARY,
Chief Secretary to Government Haryana.

52378—L.R.—H.G.P., Chd